सांगानेर में जनसांख्यिकीय और साक्षरता का भौगोलिक अध्ययन

*डॉ. सत्यवीर यादव
**बाबूलाल शर्मा

परिचय

विकासित राजस्थान के आवाजः एक सामाजिक अध्ययन

भारत में 1987 और 2017 के बीच साक्षरता परिदृश्य की जांच करता है, जिसमें चार आयु समूहों में लिंग अंतर पर ध्यान केंद्रित किया गया है। बच्चे, युवा, कामकाजी उम्र के वयस्क और बुजुर्ग। इसमें पाया गया है कि साक्षरता में लैंगिक अंतर बच्चों और युवाओं के लिए काफी हद तक कम हो गया है, लेकिन बड़े वयस्कों और बुजुर्गों के लिए अंतर में थोड़ा सुधार देखा गया है। अंतर के राज्य–स्तरीय विश्लेषण से अधिकांश भारतीय राज्यों के लिए समान प्रवृत्ति का पता चलता है। संक्षेप में कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण से जुड़े वयस्क साक्षरता कार्यक्रम शुरू करने, रोजगार और माइक्रो–क्रेडिट जैसे प्रोत्साहन देने और विशेष रूप से महिलाओं के लिए वयस्क शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल–लर्निंग जैसी प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने जैसी सिफारिशें दी गई हैं। यह इन पहलों की सफलता के लिए सामुदायिक भागीदारी के महत्व को रेखांकित करता है पढ़ने और लिखने की क्षमता से परे साक्षरता को देखने का सही अवसर अभी–अभी गया है लेकिन हमें अधिक सक्रिय नागरिक बनने में मदद करता है जो हमारे अधिकारों और कर्तव्यों आदि के बारे में जागरूक और अधिक जागरूक हैं। साक्षरता किसी देश की मानव पूंजी की गुणवत्ता के सबसे आवश्यक संकेतकों में से एक है। नवीनतम डेटा भारत की वयस्क साक्षरता दर (ए) को 73.2 प्रतिशत पर रखता है। जबकि देश ने पिछले कुछ वर्षों में साक्षरता में सुधार करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, यह 313 मिलियन निरक्षर लोगों का घर बना हुआ है; उनमें से 59 प्रतिशत महिलाएं हैं।

सूचक शब्दः– कौशल विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण, सामुदायिक भागीदारी

उद्देश्य

भारतीय महिलाओं में निरक्षरता की उच्च दर – और साक्षरता प्राप्ति में अनुवांशिक लिंग अंतर – कई सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारकों के कारण हैं। भले ही महिला शिक्षा के लाभ सार्वजनिक हैं – अधिक उत्पादक कार्यबल, कम प्रजनन क्षमता और कम शिशु मृत्यु दर सहित – ट्यूशन फीस और स्कूल की आपूर्ति के साथ–साथ छोड़े गए बाल श्रम की अवसर लागत जैसी लागतें निजी तौर पर परिवारों द्वारा वहन की जाती हैं। , इससे महिलाओं की स्कूली शिक्षा में कम निवेश होता है।

विकास के कुछ प्रयास जो देश में सीखने के परिणामों को बेहतर बनाने में मदद करेंगे (सिर्फ पढ़ने और लिखने की बुनियादी क्षमता के बजाय एक बड़े लेंस के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता को देखना शुरू करना महत्वपूर्ण है।

1. सरकारी स्कूली शिक्षा व्यवस्था पर 'सामुदायिक' स्वामित्व बढ़ाना। मध्य और उच्च मध्यम वर्ग भारत के पास सामान्य रूप से और सरकारी स्कूलों के आसपास नीतिगत दृष्टिकोण से शिक्षा के बारे में बहुत सारी निर्णय लेने की प्रक्रिया है, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है। महिलाओं के लिए नुकसान को बढ़ावा देना उनकी गतिशीलता पर सामाजिक प्रतिबंध हैं जो एक शिक्षित महिला को श्रम बल में प्रवेश करने और अपने परिवार को समर्थन देने से रोकते हैं। शैक्षिक लैंगिक अंतर, इसलिए, न केवल महिला शिक्षा के लिए कम आर्थिक प्रतिफल का प्रतिबिंब है, बल्कि यह उन पूर्वाग्रहों का भी लक्षण है जो महिलाओं और अन्य हाशिए के समुदायों की आकांक्षाओं को हतोत्साहित करते हैं। घरेलू आय और महिला शिक्षा के बीच संबंध के बारे में वर्तमान साहित्य कम स्पष्ट है। भारत भर में शहरी साक्षरता और लैंगिक असमानता का एक अध्ययन, पाता है कि ''न तो साक्षरता के पूर्ण स्तर और न ही वितरणात्मक न्याय, यानी लिंग और जाति असमानताओं में कमी के संदर्भ में, प्रति व्यक्ति आय का साक्षरता पर कोई सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। राज्यों की स्थिति। इसी तरह, एक अन्य अध्ययन में पाया गया है कि लगातार निरक्षरता और लिंग अंतर को बढ़ाने के कारण गरीबी का महत्व बढ़ गया है। इस बीच, विश्व बैंक ने इस बात पर प्रकाश डाला कि लैंगिक अंतर सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से अधिक प्रभावित होता है और पूर्ण गरीबी से कम। यह लैंगिक अंतर को दूर करने के लिए मांग से जुड़े उपायों की सिफारिश करता है, जैसे जागरूकता अभियान, चाइल्डकैअर केंद्र और अधिक महिला शिक्षकों की भर्ती। इसी तरह के नीतिगत नुस्खे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के मसौदे द्वारा प्रतिध्वनित होते हैं, जो सभी लड़कियों के लिए गुणवत्ता और समान शिक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्र की क्षमता का निर्माण करने के लिए एक लिंग–समावेश कोष स्थापित करने की सिफारिश करता है।

अधिकांश आधिकारिक रिपोर्टें वयस्क साक्षरता दर का अध्ययन करने पर ध्यान केंद्रित करती हैं जो 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के बीच साक्षरता को मापता है। हालाँकि, केवल वयस्क साक्षरता पर ध्यान केंद्रित करने से भारत द्वारा अपने साक्षरता परिणामों में सुधार करने में हुई प्रगति को कम करके आंका जा सकता है। पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए वयस्क साक्षरता दर अपेक्षाकृत सुस्त दर से बढ़ती है क्योंकि साक्षरता में अधिकांश प्रगति बच्चे और युवा साक्षरता में सुधार के माध्यम से होती है। इसलिए देश में साक्षरता परिदृश्य की स्पष्ट समझ प्राप्त करने और पुरुष और महिला साक्षरता के बीच अभिसरण को बाधित करने वाली प्रमुख चुनौतियों की पहचान करने के लिए विभिन्न आयु समूहों के लिए साक्षरता में लिंग अंतर का अध्ययन करना महत्वपूर्ण है। यह इस संक्षिप्त का प्राथमिक उद्देश्य है। साक्षरता दुख से आशा तक का सेतु है, एक बार संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान ने कहा था। ष्यह आधुनिक समाज में दैनिक जीवन के लिए एक उपकरण है। यह गरीबी के खिलाफ एक दीवार है और विकास का एक निर्माण खंड है, जो सड़कों, बांधों, क्लीनिकों और कारखानों में निवेश के लिए एक आवश्यक पूरक है। अन्नान के इन शब्दों को कहने के दो दशकों से अधिक समय बाद भी, वे अभी भी सच हैं। जैसे–जैसे भारत विकास की सीढ़ियां चढ़ता जा रहा है, साक्षरता को नीति एजेंडे में एक उच्च स्थान पर कब्जा करना चाहिए क्योंकि इसका न केवल उच्च आंतरिक मूल्य है बल्कि यह एक शक्तिशाली शक्ति गुणक भी है।

इस अध्ययन ने तीन दशकों की अवधि में विभिन्न आयु समूहों के लिए साक्षरता लिंग अंतर का विश्लेषण करके भारत में साक्षरता परिदृश्य का आकलन किया। इस अध्ययन के निष्कर्षों से पता चलता है कि भारत ने न केवल साक्षरता के मामले में पर्याप्त प्रगति की है बल्कि साक्षरता प्राप्ति में अधिक लिंग समानता भी हासिल की है। भारत 2030 तक बच्चों और युवाओं के बीच सार्वभौमिक साक्षरता हासिल करने के रास्ते पर है। इसके अलावा, बच्चों के लिए पुरुष और महिला साक्षरता दर में एक अभिसरण रहा है और इसके परिणामस्वरूप साक्षरता लिंग अंतर कम हो रहा है; आने वाले वर्षों में युवाओं को इसी तरह की सफलता मिलने की संभावना है। हालांकि, इस अध्ययन की तीसरी प्रमुख खोज बताती है कि वृद्ध वयस्कों और बुजुर्गों में व्यापक निरक्षरता के प्रसार के कारण समग्र साक्षरता

संख्या में वृद्धि धीमी होने की संभावना है। इसके अलावा, वृद्ध वयस्कों और बुजुर्गों के लिए साक्षरता लैंगिक अंतर युवाओं की तुलना में बहुत व्यापक है, जिससे उनकी साक्षरता प्राप्ति में लैंगिक समानता की कमी दिखाई देती है। राज्य स्तर पर भी यही पैटर्न देखने को मिलता है।

शोध प्रश्न

1. सरकारी स्कूली शिक्षा व्यवस्था पर 'सामुदायिक' स्वामित्व बढ़ाना। मध्य और उच्च मध्यम वर्ग भारत के पास नीतिगत दृष्टिकोण से सामान्य और सरकारी स्कूलों के आसपास शिक्षा के बारे में बहुत सारी निर्णय लेने की प्रक्रिया है, लेकिन इस प्रणाली में कुछ भी दांव पर नहीं है क्योंकि उनके बच्चे वहां नहीं जाते हैं। ऐसे में अगर अपने बच्चों को वहां भेजने वाले लोग बेजुबान और बेजुबान ही रहेंगे तो व्यवस्था कैसे सुधरेगी?

2. शिक्षक शिक्षा (टीई) प्रणाली में सुधार। आज टीई संस्थानों के स्वामित्व पर फिर से विचार करने और राजनीतिक स्वामित्व और संरक्षण को हटाने पर काम करने का समय आ गया है। हमें इसके भीतर आधुनिक और नवीन तत्वों को लाने और इसे और अधिक कठोर बनाने के लिए पाठ्यक्रम और शिक्षाशास्त्र में सुधार पर ध्यान देना चाहिए।

3. शिक्षक शिक्षा के लिए उत्कृष्टता केंद्र विकसित करना। यह सुनिश्चित करने के लिए ये केंद्र प्रतिष्ठित या राष्ट्रीय महत्व के संस्थान बनेंगे।

4. अच्छी गुणवत्ता वाले स्कूल नेतृत्व के महत्व के इर्द–गिर्द एक राष्ट्रीय संवाद और अनिवार्यता बनाएँ। इससे स्कूल की गुणवत्ता में सुधार और उसे बनाए रखने, स्कूलों के भीतर सीखने की संस्कृति का पोषण करने, शिक्षक प्रेरणा बनाए रखने, सभी हितधारकों के लिए सम्मान और भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

5. संभावित स्कूल नेताओं/प्रधान शिक्षकों की पहचान करने और उन्हें तैयार करने के तरीकों का विकास करना। हमें वर्षों की सेवा और प्रदर्शन के मानकों से परे देखने की जरूरत है..

6. शिक्षकों की सामाजिक छवि और स्थिति को सुधारने पर काम करें। हमें इस बात की पड़ताल करने की आवश्यकता है कि एक गाँव/कस्बे में एक उच्च सम्मानित व्यक्ति के रूप में एक शिक्षक का विचार महत्वपूर्ण रूप से क्यों बिगड़ा है और इसे बहाल करने के तरीके और साधन तैयार किए हैं। यहां शिक्षक बनने की आसानी सहित कई लीवर खेल सकते हैं और इसलिए, जिस तरह के लोग शिक्षक बनना पसंद कर रहे हैं, एक शिक्षक को मिलने वाला वेतन और इसी तरह।

7 सरकारी शिक्षा प्रणाली में शिक्षकों (विशेष रूप से सरकारी स्कूल के शिक्षकों) को सबसे महत्वपूर्ण हितधारकों के रूप में मानना शुरू करें। उन्हें सीढ़ी के सबसे निचले पायदान के रूप में न मानें, ऐसे लोगों के रूप में नहीं जो केवल उन विचारों, विचारों और नीतियों के लेन–देन करने वाले हैं जो लोग सीढ़ी के उपकरण में ऊपर हैं। यह शिक्षकों को बच्चों के लिए सह–निर्माण और सह–डिजाइनिंग पाठ्यक्रम और शिक्षाशास्त्र में एक मुख्य घटक बनाने का समय है, जो स्थानीय स्वाद और वास्तविकताओं को शामिल करने में भी मदद करेगा।

8. अच्छी शिक्षा के विचार के विस्तार पर काम करें। इसे अवधारणाओं के रट्टा मारने से परे विस्तारित करने की आवश्यकता है। इसे बड़े पैमाने पर संज्ञानात्मक विकास पर एक विश्वास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो एक बच्चे की विशिष्टता और 'बुद्धिमत्ता' की विभिन्न परिभाषाओं का जश्न मनाता है।

9. दायरा बढ़ाएं। शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम अब प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बना रहा है, इसके

दायरे को पूर्व–प्राथमिक शिक्षा (जो सभी राज्यों में नहीं है) को शामिल करने के लिए विस्तारित करने की आवश्यकता है।

10. एक बेहतर शिक्षा को समझना। आरटीई के साथ अब स्कूल में बड़ी संख्या में बच्चे आ रहे हैं, एक सहयोगी प्रक्रिया के माध्यम से बेहतर शिक्षा कैसी दिखती है, इस बारे में एक आम समझ विकसित करने पर ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही हमें मात्रा के साथ–साथ गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सकल घरेलू उत्पाद का उच्च प्रतिशत आवंटित करने पर विचार करना था।

परिकल्पना

भारत का संविधान सभी के लिए शिक्षा के महत्व को स्वीकार करता है। इसलिए, यह देश में शैक्षिक अधिकारों के उचित और प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कई प्रावधान करता है। इन प्रावधानों में शामिल हैं।

अल्पसंख्यकों की शिक्षाः भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है।

मुफ्त और अनिवार्य शिक्षारू भारत का संविधान (राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के 41, 45 और 46 के तहत) राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि सभी नागरिक मुफ्त शिक्षा प्राप्त करें।

शैक्षिक संस्थानों में अवसर की समानतारू समानता का मौलिक अधिकार स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि कानून की नजर में किसी के साथ स्थिति, जाति, लिंग, वर्ग या पंथ के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। शिक्षा से संबंधित लोगों सहित देश में सभी को समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 (ए) में 6–14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए संशोधन किया गया था।

कमजोर वर्गों की शिक्षाः भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15, 17 और 46 समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षिक हितों की रक्षा करते हैं।

इनमें सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े परिवार शामिल हैं जिनमें अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) शामिल हैं।

1981 से पहले की जनगणनाओं में, भारत में साक्षरता दर की गणना पूरी आबादी को ध्यान में रखकर की जाती थी। भारत में साक्षरता दर की गणना करने का एक अधिक सटीक और सटीक तरीका खोजने के बाद 1991 में इस पद्धति को संशोधित किया गया था।

इसमें 0–6 वर्ष की आयु के लोगों को गणना प्रक्रिया से बाहर करना शामिल था। इसलिए, 1991 से, भारत में साक्षरता दर की गणना सात वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों के लिए की गई थी।

भारत में साक्षरता ने कई वर्षों से लैंगिक असमानता की समस्या को इसमें शामिल किया है। हमारे समाज में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समानता सुनिश्चित करने के सरकार के प्रयासों के बावजूद, भारत में महिलाओं की साक्षरता दर, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी बहुत कम है।

इस अंतर के पीछे का कारण महिलाओं के लिए अनुचित या शिक्षा की कमी है, और पितृसत्तात्मक मानदंड हैं जो महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण हैं।

- अपनी साक्षरता का स्तर बढ़ाने के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इसमे शामिल है।
- साथियों के साथ ज्ञान साझा करने के सत्र में शामिल हों
- समाचार पत्रों, उपन्यासों, कॉमिक्स, पत्रिकाओं, वेबसाइटों आदि जैसे विभिन्न प्रकार की पठन सामग्री के लिए खुद को उजागर करें।
- विभिन्न माध्यमों का उपयोग करते हुए बहुआयामी लेखन
- महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दों पर दोस्तों और परिवार के साथ बहस, बातचीत और चर्चा में शामिल हों

उन चीज़ों के बारे में और जानें जिनमें आपकी दिलचस्पी है और जो आपको आकर्षित करती हैं। इसमें फिल्मों, संगीत, कला, इतिहास आदि पर शोध करना शामिल हो सकता है।

भारत में करोड़ों बच्चे स्कूल से बाहर हैं और उन्हें कभी भी शिक्षा प्राप्त करने का मौका नहीं मिल सकता है। आपका छोटा मासिक उपहार उनके लिए अपने लिए बेहतर जीवन बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। आज दान करें और उन्हें खुशहाल बचपन में दूसरा मौका दें

हम निरक्षरता को कैसे समाप्त कर सकते हैं?

निरक्षरता किसी देश के विकास में कई बाधाएँ पैदा करती है और उस देश के प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित करती है। यहाँ पाँच तरीके हैं जिनसे हम भारत में निरक्षरता को समाप्त कर सकते हैं।

1. समावेशी शिक्षा

आरटीई अधिनियम (2009) के परिणामस्वरूप स्कूलों में बच्चों के नामांकन में वृद्धि हुई है, लेकिन यह अधिनियम 6–14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए लागू है। बच्चे, विशेषकर बालिकाएं, जो 14 वर्ष की आयु के बाद स्कूल छोड़ देते हैं, उनके लिए अपनी शिक्षा जारी रखना लगभग असंभव हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए शिक्षा को सुलभ बनाने के लिए अधिनियम के दायरे को बढ़ाया जाना चाहिए।

2. सरकारी स्कूलों में निवेश बढ़ाया

फंड के अभाव में सरकारी स्कूल बच्चों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में निवेश नहीं कर पा रहे हैं। काम करने वाले शौचालयों, हाथ धोने की जगह और पीने के पानी की कमी के कारण बच्चों, विशेषकर लड़कियों को स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। दूसरी ओर, उच्च स्तर की सुविधाओं वाले निजी स्कूल अत्यधिक शुल्क वसूलते हैं, जिससे हाशिये पर रहने वाले समुदायों के लिए सेवाओं का उपयोग करना असंभव हो जाता है। पब्लिक स्कूलों में सरकारी खर्च बढ़ने से उन्हें और अधिक सुलभ बनाया जा सकेगा।

3. व्यावसायिक प्रशिक्षण

अक्सर स्कूली शिक्षा अकेले कार्यबल में प्रवेश करने के लिए आवश्यक कौशल प्रदान नहीं करती है। व्यावहारिक प्रशिक्षण के बिना रटने की मौजूदा प्रणाली शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करती है और रोजगार योग्य कौशल सेट विकसित करने में विफल रहती है। इस प्रकार, इस अंतर को भरने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण महत्वपूर्ण है। बढ़ईगीरी, प्लंबिंग, सिलाई और नर्सिंग कुछ ऐसे कौशल हैं जो व्यक्तियों को रोजगार पूरा करने में मदद कर सकते हैं।

4. शिक्षक प्रशिक्षण

प्रशिक्षित और शिक्षित शिक्षकों के बिना शिक्षा प्रणाली को उन्नत नहीं किया जा सकता है। सरकारी और निजी दोनों स्कूलों में योग्य शिक्षकों की कमी बच्चों के सीखने के परिणामों को प्रभावित करती है। यह सुनिश्चित करने के लिए बड़े बदलाव की आवश्यकता है कि स्कूल योग्य शिक्षकों को नियुक्त करें, योग्य शिक्षकों की उपलब्धता, और व्यक्तियों को शिक्षकों के रूप में प्रशिक्षित करने के अवसर।

5. सामाजिक मानदंडों को बदलना

किसी देश के विकास को निर्धारित करने में सामाजिक मानदंड बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। प्रतिगामी सामाजिक मानदंडों के परिणामस्वरूप लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं या बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जाता है, और यह आने वाली पीढ़ियों के लिए निरक्षरता और पितृसत्तात्मक मानदंडों का एक दुष्चक्र बनाता है।

साक्षरता दर का प्रभावः

साक्षरता दर सबसे महत्वपूर्ण पहलू है क्योंकि यह लोगों की चेतना को प्रभावित करती है और उनके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाती है। एक व्यक्ति जो शिक्षित है उसे समाज के लिए एक लाभ के रूप में माना जाता है, जबकि एक अशिक्षित व्यक्ति को एक दायित्व के रूप में देखा जाता है। शिक्षा लोगों को नए लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित करती है और उनमें आदर्श स्थापित करती है। साक्षरता दर में वृद्धि से समाज की प्रगति को सहायता मिलती है। साक्षरता न केवल काम की संभावनाओं को बढ़ाकर किसी व्यक्ति के जीवन स्तर को ऊपर उठाती है, बल्कि देश की राष्ट्रीय आय, श्रम दक्षता और सांस्कृतिक समृद्धि को भी बढ़ाती है। उच्च साक्षरता दर उच्च रोजगार दर, अधिक आर्थिक विकास, स्वस्थ आबादी, कम अपराध से जुड़ी है, और यह देश के समग्र स्वस्थ लोकतंत्र के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति के लिए, साक्षरता उन्नत कौशल प्राप्त करने के लिए आवश्यक मूलभूत कौशल है।

- शिक्षा में चुनौतियां
- जनसंख्या के विभिन्न क्षेत्रों के बीच एक महत्वपूर्ण भिन्नता है।
- पुरुष साक्षरता महिला साक्षरता की तुलना में लगभग 16.6: अधिक है, और यह लगभग है।
- ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरों में रहने की लागत 16.1: अधिक है।
- 2011 में, केरल में साक्षरता दर 94 प्रतिशत से 62 प्रतिशत के बीच थी।

- 2013–2014 में, प्राथमिक विद्यालय प्रणाली में 8.58 लाख से अधिक छात्र बढ़े, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट आई है, और एक महत्वपूर्ण ड्रॉपआउट दर है

- सरकार द्वारा की गई कुछ प्रमुख पहलें:

15 जुलाई, 2015 को, भारत सरकार के एक मंत्री ने 2022 तक विभिन्न कौशल में भारत में 40 करोड़ (400 मिलियन) से अधिक लोगों को प्रशिक्षित करने के लक्ष्य के साथ कौशल भारत अभियान की घोषणा की। भारत को दुनिया की कौशल राजधानी बनाने के लिए, भारतीय सरकार ने बेरोजगार युवाओं को फिर से प्रशिक्षित करने पर केंद्रित कई कौशल विकास कार्यक्रम स्थापित किए हैं। इस क्षेत्र में पहल के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं।

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम भारत (NSDC): भारतीय राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) की स्थापना भारत के कौशल परिदृश्य को उत्प्रेरित करने के लक्ष्य के साथ सार्वजनिक–निजी भागीदारी के रूप में की गई थी।

'कौशल–भारत मिशन' के तहत, नवोन्मेषी सुविधाओं का उद्देश्य जनशक्ति को अप्रभावी संचार, उद्यमशीलता कौशल और अन्य क्षेत्रों को प्रशिक्षित करना होगा।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई): प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का उद्देश्य बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को बेहतर जीवन सुरक्षित करने में सहायता करने के लिए उद्योग–प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों से कौशल प्रशिक्षण पहलों को एक साथ लाने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन बनाया गया था।

प्रधान मंत्री कौशल विकास केंद्ररू राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSC) ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक रणनीति स्थापित की है कि हर जिले में आधुनिक मॉडल प्रशिक्षण केंद्र (MTCs) हों, जिन्हें प्रधान मंत्री कौशल केंद्र भी कहा जाता है।

परिणाम एवं निष्कर्ष

एक राष्ट्र के रूप में, भारत को निरक्षरता द्वारा उत्पन्न बाधाओं को दूर करने का लक्ष्य रखना चाहिए, न केवल अपनी आर्थिक शक्ति को बनाए रखने के लिए बल्कि यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति के पास व्यक्तिगत पूर्ति और समाज में भागीदारी के लिए पूर्ण अवसर हों। वृद्ध वयस्कों और विशेष रूप से बुजुर्गों के लिए, साक्षरता उन्हें कार्यबल में बने रहने या फिर से शामिल होने, स्वयंसेवा और नागरिक भागीदारी के माध्यम से समाज में योगदान करने और अपने बाद के वर्षों में पूर्ण, स्वतंत्र और उत्पादक जीवन जीने में सक्षम बनाने में एक आवश्यक भूमिका निभाती है।

जैसा कि भारत 21वीं सदी की ज्ञान अर्थव्यवस्था में विकसित हो रहा है, साक्षरता की परिभाषा को समाज की बदलती जरूरतों को प्रतिबिंबित करने के लिए विकसित होना चाहिए। साक्षरता अब पढ़ने और लिखने के बुनियादी, मूलभूत कौशल तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए बल्कि वित्तीय, डिजिटल, नागरिक और बहुसांस्कृतिक साक्षरता की व्यापक धारणाओं से जुड़ी होनी चाहिए। साक्षरता की इन उभरती हुई परिभाषाओं को व्यक्तियों और समाज दोनों की आर्थिक प्रगति और सामाजिक उन्नति सुनिश्चित करने के लिए नीतिगत संवाद में एकीकृत किया जाना चाहिए।

इस अध्ययन में साक्षरता प्रवृत्तियों और लैंगिक अंतर का विश्लेषण एक कहानी कहता है; कहानी को सुनना और

उसकी बारीकियों को समझना महत्वपूर्ण है ताकि नीतियों को फिर से समायोजित कर सके। जब भारत में शिक्षा की स्थिति और स्थिति की बात आती है तो समस्याओं की कोई कमी नहीं है और कोई भी मुद्दा दूसरे से कम महत्वपूर्ण नहीं है। हालाँकि, साक्षरता न केवल अपने आप में मूल्यवान है बल्कि शिक्षा के सभी पहलुओं से अनिवार्य रूप से जुड़ी हुई है। भारत में, हजारों महिलाएं और पुरुष पढ़ने और लिखने की क्षमता के बिना वयस्कता में प्रवेश करते हैं और परिणामस्वरूप उन अवसरों से चूक जाते हैं जो उन्हें अपने जीवन को बेहतर बनाने और देश के विकास में योगदान करने में सक्षम बनाते। यदि इस दुर्भाग्यपूर्ण प्रवृत्ति को रोकना है तो नीति निर्माताओं को अपने विकास एजेंडे की फिर से जांच करनी होगी और प्रौढ़ शिक्षा को प्राथमिकता देनी होगी।

साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा द्वारा मापा गया व्यक्ति का स्वास्थ्य, और देश के नागरिकों द्वारा प्राप्त कौशल निर्माण सभी देश की जनसंख्या गुणवत्ता में योगदान करते हैं। इनके अलावा, प्रशिक्षण और उचित शिक्षा सुविधाओं से श्रम बल के कौशल में सुधार होता है जो सीधे समाज के समग्र विकास से संबंधित होता है, और एक विकासशील देश को एक विकसित देश में अपग्रेड करना बहुत आवश्यक हो जाता है।

***प्रोफेसर**
सिंघानिया विश्वविद्यालय पचेर बारी झुंझुनू
****शोधार्थी**
भूगोल विभाग
स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एण्ड एजुकेशन सिंघानिया विश्वविद्यालय
पचेर बारी झुंझुनू (राज.)

संदर्भ

1. देसाई, वामन (2012)। भारत में साक्षरता का परिचय आर्थिक विकास
2. महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त, भारत–2011।
3. विकिपीडिया. कॉम।
4. प्रेमी महेंद्र के. 1991, इंडियाज़ पॉपुलेशनरू हेडिंग टूवर्ड ए बिलियन, बी.आर. प्रकाशित करना निगम।
5. जयंत पांडुरंग नायक, सैयद नूरुल्लाह (1974)। एक छात्र का शैक्षिक इतिहास (1800–1973)।
6. स्टैटिस्टिकल पॉकेट बुक इंडिया 2003